Statement

	8	tates	nent	:		
Name of the State/Cadre				No. of IAS Offi- cers		
1.	Andhra Prade	sh			224	
2.	Assam-Meghal	aya			120	
3.	Bihar .				248	
4•	Gujarat .				150	
5.	Haryana .		•	•	121	
6.	Himachal Prac	ddesh	•		69	
7.	Jammu & Ka	shmir		•	72	
8.	Karnataka				173	
9.	Kerala .				110	
10	Madhya Prado	esh	•		261	
11.	Maharashtra				238	
12.	Manipur-Tripu	ıra			65	
13.	Nagaland				38	
14.	Orissa .				147	
15.	Punjab .				129	
16.	Rajasthan				157	
17.	Sikkim .				25	
18.	Tamil Nadu				204	
19.	Union Territor	ies			119	
20.	Uttar Pradesh				362	
21,	West Bengal				202	
		Total			3234	

Pension to Freedom Fighters in Bihar and U.P.

4393. SHRI RAM SINGH SHAK-YA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

- (a) the number of freedom fighters who are getting pension in Bihar and U.P. up-to-date;
- (b) whether pensions have been withheld in the case of some freedom fighters;

- (c) if so, the number of such pensioners and the reasons therefor; and
- (d) the time by which their pension is likely to be restored?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) 19,263 and 18,400 in Bihar and U.P. respectively.

(b), (c) and (d). Pensions have been suspended in 202 cases in Bihar and 494 cases in U.P.

Pensions have been suspended on one or the other of the following grounds:—

- (i) Applicant is not a genuine freedom fighter;
- (ii) Suffering is less than six months.
- (iii) Suffering is not in connection with freedom movement.
- (iv) Submission of false documentary evidence.
- (v) Claim of internment/externment/abscondence is not supported by evidence.
- (vi) Annual income from all sources is more than Rs. 5000/-

Opportunity is given to the persons concerned to explain their position and adduce additional evidence in support of their claim. Their replies are got re-verified through the State Government. Depending on the report of the State Government pensions are restored in eligible cases without delay.

Supply of Cement to U.P.

4394. SHRI ZAINUL BASHEER: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether during the last three months. letters from Uttar Pradesh Government have been received in which attention of the Central Government was drawn to the coment

supply in the entire Uttar Pradesh in general and in the eastern districts of the State in particular;

- (b) the action taken by Government in this regard; and
- (c) whether the supply pisiton is satisfactory at present?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA):

- (a) No. Sir.
 - (b) Does not arise.
- (c) Against an allocataion of 4,37,600 tonnes of cement made for the quarter April-June, 1980, a quantity of 3,84,205 tonnes of cement was despatched to the State of Uttar Pradesh upto 15-6-1980.

सीमा सुरक्षा बल के सहायक उप निरीक्षककों (भ्रापरटरों) को विशंख वतन

4395. भी दौलत राम सारण: क्या गृह मंत्री

यह बलाने की कुपा करेंगे कि:

- (क) क्या 1973 के नये वेतनमान के अनुसार सीमा सुरक्षा बल के सहायक उप-निरीक्षक (ग्रापरेटरों) को विशेष वेतन दिया गया था लेकिन रेडियो मैकेनिक सहायक उप-निरीक्षकों को नहीं विया गया;
- (ब) क्या सहायक उप-निरीक्षक धापरेटरो को विशेष बेतन 1974 से 1976 तक दिया गया या लेकिन उसके बाद बन्द कर दिया गया मौर विशेष वेतन के रूप में उन्हें दी गई राशि उनसं बापस ली गई भौर क्या जिन रेडियो मैकेनिक सहायक उप-निरीक्षक को पहले विशेष वेतन नहीं दिया गया था उन्हें यह विशेष वेतन मिलने लगा भौर यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण थे; भौर
- (ग) क्या आपरेटरों के दो निक्से रैक (नायक, हैड कांस्टेबल) है और दो रैंक (उप-निरीक्षक और निरीक्षक) सहायक उप-निरीक्षकों से क्यर है और क्या कंचे और निक्ले दोनों रैकों के व्यक्तियों को यह विभेष वेतन मिल रहा है लेकिन वे केवल रेडियो मैंकेनिक सहायक उप-निरीक्षकों को ही यह विभेष वेतन नहीं विया जा रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार इस असंगित की हुर करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (भी योगन्त्र मकवाना): (क) जी हां, श्रीमान्।

- (ख) सहायक उप निरीक्षकों (भ्रापरेटरो) को दिया गया विशेष वेतन वाजिब नही पाया गय। था । इसलिए सहायक उप-निरीक्षकों को भगतान किये गये विशेष वेतन की वसूली की गई थी । सहायक उप-निरीक्षक (म्रापरेटर) का संशोधित पूर्व वेतनमान (125-155 क0 माहवार श्रीर विशेष वेतन 40 ६० माहवार) सहायक उप-निरीक्षव रेडियो मैंकेनिक) ग्रेड-।। के वेतनमान (150-320 रु0) संकम था । 1-1-1973 से दोनों श्रेणियों के वेतनमान संशोधित करके समान बेतनमान (330-480 रु०) गया । सहायक उपनिरीक्षक (ग्रापरेटर) की तुलना में सहायक उपनिरीक्षक (रेडियो मैकेनिक) के हित में कुछ भन्तर रखना वांछनीय समझा गया था । इसलिए सहायक उपनिरीक्षक (रेडियो मैकेनिक) ग्रेड-॥ को 1-1-1973 से विशेष वेतन दिया गया था।
- (ग) नायक तथा हैडकांन्सटेबल का पद सहायक उपनिरीक्षक के पद से दो श्रेणी नीचे हैं और उप निरीक्षक तथा निरीक्षक का पद सहायक उप-निरीक्षक के पद से दो श्रेणी ऊपर हैं। नायक (संचार) हैड कांम्टेबल (प्रापरेटर) उप-निरीक्षक (ग्रापरेटर) तथा निरीक्षक (संचार) को विशेष वेतन मिलता है। सहायक उप-निरीक्षक (प्रापरेटर) को विशेष वेतन नही दिया जक्ता है जैसा कि उपर्यक्त (ख) में स्पष्ट किया गया है सहायक उप-निरीक्षक (ग्रापरेटर) को विशेष वेतन नही दिया जक्ता है तहायक उप-निरीक्षक (ग्रापरेटर) को विशेष वेतन नही दिया जक्ता है जैसा कि उपर्यक्त (ख) में स्पष्ट किया गया है सहायक उप-निरीक्षक (ग्रापरेटर) को विशेष वेतन वेते के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Allegations against Chief Executive of N.I.D.C.

4396. SHRI K. A. RAJAN:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

- (a) whether work load of the National Industrial Development Corporation Ltd. is touching the bottom of the scale whereas other sister consultancy organisations like Engineers India Ltd., MECON etc. have begged prestigious contracts for consultancy assignments both in India and abroad;
- (b) whether it is a fact that the Chief Executive of NIDC goes on foreign tours through the auspices of Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE) and National Associa-